<u>न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा</u>

(पीठासीन अधिकारी एल. आर. गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 29/2015 – निगरानी

1. आदिल पुत्र मेहमूद खां देशवाली निवासी वार्ड नम्बर 6 , जहाजपुर तह0 जहाजपुर जिला भीलवाडा –निगराकार	बनाम	1. नगर पालिका जहाजपुर जरिये अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका, जहाजपुर 2. शफी मोहम्मद पुत्र अब्दुल्ला खां देशवाली निवासी वार्ड नम्बर 6, जहाजपुर 3. बानो बेगम पत्नी शफी मोहम्मद देशवाली निवासी वार्ड नम्बर 6 जहाजपुर – गैर निगराकार

निगरानी विरूद्व निर्णय नगर पालिका मण्डल जहाजपुर द्वारा जारी पटटा क्रमांक 222 दिनांक 05.02.2013 को निरस्त कराये जाने बाबत् अन्तर्गत धारा 312 नगर पालिका अधिनियम

1. श्री मो0 हुसैन कुरैशी एवं फरीदा बानो अधिवक्ता – निगराकार की ओर से उपस्थित
2. श्री ऋषि तिवारी अधिवक्ता – गैर निगराकार सं. 02 व 03 की ओर से अनुपस्थित
3. नगर पालिका जहाजपुर – अधिशाषी अधिकारी अनुपस्थित

<u>निर्णय</u>

दिनांक 27.02.2017

निगराकार की ओर से यह निगरानी अंतर्गत धारा 312 नगर पालिका अधिनियम विरूद्व नगर पालिका मण्डल जहाजपुर पटटा सं. 222, दिनांक 05.02.2013 का दिनांक 08.07.2015 को प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि गैर निगराकार सं. 01 द्वारा जारी पटटा क्रमांक 222 दिनांक 05.02.2013 पूर्णतया विधि विरूद्व एवं वास्तविक स्थिति के विपरीत होने से निरस्त एवं अपास्त किये जाने योग्य है । गैर निगराकार ने जो नक्शा प्रस्तुत किया है , उसमें पश्चिम दिशा में आवागमन का रास्ता है, परन्तु गैर निगराकार ने इस तथ्य को छिपाकर नक्शा प्रस्तुत किया हैं एवं मौके पर जाकर सत्यापन किये बगैर ही जो पटटा जारी किया हैं, सर्वथा गलत होने से जारी पटटा निरस्त योग्य हैं। निगराकार के मकान के अन्दर जाने का एकमात्र रास्ता उक्त जारी पटटे के मध्य में है, उक्त रास्ते के अलावा निगराकार के मकान में जाने – आने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं हैं। यदि जारी पटटे के अनुसार स्थिति यथावत् रहती हैं, तो निगराकार का रास्ता बन्द हो जायेगा। गैर निगराकार सं. 01 द्वारा उक्त पटटा जारी करने में कोई विधिक प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी, जिससे जारी पटटा

अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाडा (राज.)

विधि विरूद्ध होकर निरस्त योग्य है । पटटा धारक गैर निगराकार सं. 02 व 03 के द्वारा स्वयं ही गैर निगराकार सं. 01 को दिनांक 10.04.2014 को आवेदन प्रस्तुत कर यह अनुरोध किया है कि उसे जो पटटा जारी किया गया था, उसे पटटे के मानचित्र में दिशाओं के पड़ौसी सही नहीं है । उस पटटे को गैर निगराकार सं. 02 व 03 ने दिनांक 05.04.2013 को पालिका में जमा करा दिया है तथा गैर निगराकार सं. 01 ने पटटा प्राप्ति की रसीद दिनांक 10.04.2013 को जारी की इसके पश्चात् नगर पालिका जहाजपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर पटटे को संशोधित कराने हेतु प्रार्थना की है । इस आधार पर जारी पटटा निरस्त योग्य है । अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर नगर पालिका जहाजपुर के द्वारा जारी पटटा सं. 222 दिनांक 05.02.2013 को निरस्त किया जाने के आदेश प्रदान करावें ।

प्रस्तुत निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 21.07.2015 को पंजीकृत करते हुये गैर निगराकारान को नोटिस जारी किये गये एवं अधीनस्थ न्यायालय से रिकार्ड तलब किया गया।

गैर निगराकार सं. 02 व 03 के द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर गैर निगराकार का दिनांक 26.09.2016 को जवाब बंद किया गया ।

प्रकरण में निगराकार अधिवक्ता की बहस सुनी गयी ।

निगराकार अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि गैर निगराकार सं. 01 द्वारा जारी पटटा क्रमांक 222 दिनांक 05.02.2013 पूर्णतया विधि विरूद्ध एवं वास्तविक स्थिति के विपरीत होने से निरस्त एवं अपास्त किये जाने योग्य है । गैर निगराकार ने जो नक्शा प्रस्तुत किया है , उसमें पश्चिम दिशा में आवागमन का रास्ता है, परन्तु गैर निगराकार ने इस तथ्य को छिपाकर नक्शा प्रस्तुत किया हैं एवं मौके पर जाकर सत्यापन किये बगैर ही जो पटटा जारी किया हैं, सर्वथा गलत होने से जारी पटटा निरस्त योग्य हैं। निगराकार के मकान के अन्दर जाने का एकमात्र रास्ता उक्त जारी पटटे के मध्य में है, उक्त रास्ते के अलावा निगराकार के मकान में जाने – आने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं हैं। यदि जारी पटटे के अनुसार स्थिति यथावत् रहती हैं, तो निगराकार का रास्ता बन्द हो जायेगा। गैर निगराकार सं. 01 द्वारा उक्त पटटा जारी करने में कोई विधिक प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी, जिससे जारी पटटा विधि विरूद्ध होकर निरस्त योग्य है ।

विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । गैर निगराकार सं. 02 ने एक आवेदन

पत्र अन्तर्गत राजस्थान स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 का पालिका के वार्ड नम्बर 6 में संस्थित जायदाद का पटटा बनाने हेतु आवेदन के साथ एक नक्शा प्रस्तुत किया । जिसके आधार पर गैर निगराकार सं. 01 द्वारा गैर निगराकार सं. 02 व 03 को प्रश्नगत पटटा जारी किया गया।

नगर पालिका जहाजपुर की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि गैर निगराकार सं. 02 ने नगर पालिका द्वारा जारी पटटा सं. 222 दिनांक 05.02.2013 में नक्शे में रास्ता अंकित नहीं करने से पटटे को वापिस जमा कराने हेतु आवेदन पत्र अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका जहाजपुर को दिनांक 5.4.2013 को आवेदन प्रस्तुत कर दिया । नगर पालिका जहाजपुर द्वारा उक्त पटटा पुनः पालिका में जमा कराने की तस्दीक दिनांक 10.04. 2013 को जारी कर दी गयी । नगर पालिका जहाजपुर द्वारा गैर निगराकार सं. 02 के उक्त आवेदन पत्र पर दिनांक 15.07.2015 को निर्णय पारित करते हुये संशोधन निर्णय पारित करते हुये पटटे में संशोधन नहीं किया जाना अंकित करते हुये पटटा गैर निगराकार सं. 02 को वापिस लौटा दिया गया। इस प्रकार शफी मोहम्मद द्वारा पटटा दिनांक 05.02.2013 से त्रुटि होने को अपने आवेदन पत्र दिनांक 5.4.2013 में स्वीकार किया गया । इससे स्पष्ट हैं कि पटटा दिनांक 05.02.2013 में नगर पालिका जहाजपुर द्वारा सहवन से रास्ता नहीं दर्शाया गया । नगर पालिका जहाजपुर की पटटा पत्रावली में संलग्न ग्राम जहाजपुर की जमाबंदी संवत् 2068–2071 के अनुसार आराजी नं. 6518 रकबा 250.08 बीघा भूमि गै0 मु0 आबादी बिलानाम सरकार गैर काबिल काश्त के खाते में दर्ज रिकार्ड होकर भूमि राज्य सरकार की है। उक्त भूमि नगर पालिका की नहीं है। उक्त भूमि को नगर पालिका जहाजपुर स्वयं के नाम पर सक्षम प्राधिकारी के मार्फत हस्तान्तरण करवावें एवं तत्पश्चात् नये सिरे से सम्पूर्ण प्रकिया की पालना करते हुये नगर पालिका जहाजपुर विधिवत् रूप से गैर निगराकार सं. 02 व 03 के नाम नया पटटा जारी करने की कार्यवाही करे । उपरोक्त विवेचन के अनुसार गैर निगराकार सं. 02 व 03 के नाम जारी पटटा दिनांक 05.02.2013 निरस्त किये जाने योग्य होने से निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती हैं । अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत 312, नगर पालिका अधिनियम विरूद्व निर्णय नगर पालिका जहाजपुर पटटा सं. 222 दिनांक 05.02.2013 के संबंध में निगरानी स्वीकार कर उक्त पटटा सं. 222 दिनांक 05.02.2013 को निरस्त किया जाता है एवं

अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका जहाजपुर को निर्देश दिये जाते है, कि ग्राम जहाजपुर के आराजी नं. 6518 रकबा 250.08 बीघा भूमि गै0 मु0 आबादी बिलानाम गैर काबिल काश्त की भूमि में से नगर पालिका जहाजपुर स्वयं के नाम पर सक्षम प्राधिकारी के मार्फत हस्तान्तरण करवावें एवं तत्पश्चात् नये सिरे से सम्पूर्ण प्रकिया की पालना करते हुये नगर पालिका जहाजपुर विधिवत् रूप से गैर निगराकार सं. 02 व 03 को नया पटटा जारी करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। तलबिदा रिकार्ड मय निर्णय प्रति के अधीनस्थ नगर पालिका जहाजपुर को पालनार्थ लौटाया जावे ।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/02/17

(एल.आर.गुगरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा